अबाध अवैध खनन

मेघालय की पूर्वी जयंतिया पहाड़ी के एक अवैध कोयला खदान में करीब पांच हफ्ते से फंसे मजदूरों की जान बचाने की कवायद जारी है, पर उम्मीद लगातार कम होती जा रही है. गुरुवार को एक मजदूर की लाश मिलने से निराशा बढ़ी ही है. इसी बीच राज्य में दो अन्य खनन दुर्घटनाओं का पता चला है. एक घटना में दो मजदूरों की मौत हुई है और दूसरी घटना में तीन मजदूर खदान में फंसे हुए हैं. राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2014 में अवैध खनन पर रोक के आदेश का व्यापक उल्लंघन होता रहा है. देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य है, जहां किसी-न-किसी संसाधन का दोहन बिना मंजूरी और सुरक्षा उपायों के न होता हो. बालू, पत्थर और मिट्टी को भी निकालने के मामले सामने आते रहते हैं तथा दुर्घटनाओं में मजदूरों के मारे जाने का सिलसिला भी चलता रहता है. ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, जहां कार्रवाई कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर खनन माफिया ने जानलेवा हमला कराया है. विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर समुचित सुरक्षा एवं पर्यावरण की अनदेखी कर या बिना मंजूरी के हो रहे खनन को बंद करने का आदेश भी दिया है. परंतु, प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के साथ खनन माफिया को राजनीतिक संरक्षण का लाभ मिलता रहा है. मेघालय सरकार ही हाल तक राज्य में किसी भी ऐसी अवांछित गतिविधि से इनकार करती रही थी. सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार की नाक के नीचे हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बालू और पत्थर निकालने का गैरकानूनी कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. कुछ समय पहले अरावली की पहाड़ियों में खनन के मामले पर सुनवाई कर रहे न्यायालय को तब बहुत आश्चर्य हुआ, जब उसके संज्ञान में लाया गया कि इस क्षेत्र में कई पहाड़ियों को खनन माफिया ने गायब ही कर दिया है. प्रवासी मजदूरों को ज्यादा मेहनताना का लालच देकर ऐसे कामों में लगाया जाता है. मेघालय में 2007 से 2013 तक किये सर्वेक्षण में स्वयंसेवी संस्था इंपल्स नेटवर्क ने पाया था कि नेपाल और बांग्लादेश से लाये गये 1200 बच्चों से खदान में काम लिया जाता था. अवैध कोयला खदानों को 'रैट होल्स' कहा जाता है, क्योंकि नजर में आने से बचने के लिए इनका मुहाना छोटा बनाया जाता है. अपराधी कारोबारियों की मुख्य चिंता कम समय में अधिक कोयला निकालने की होती है. ऐसे में बच्चों से काम लेना उनके लिए फायदेमंद होता है. अवैध खनन को रोकने के लिए राष्ट्रीय खनन नीति, 2008 भी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत केंद्र सरकार इसकी समीक्षा भी कर रही है. बीते अगस्त में ओड़िशा के मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट ने कहा था कि यह नीति मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसमें जरूरी बदलाव होने चाहिए. उम्मीद है कि इस हादसे के बाद सरकारें गंभीरता से इस समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत होंगी.

देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य है, जहां किसी-न-किसी संसाधन का दोहन बिना मंजूरी और सुरक्षा उपायों के न होता हो.

बदलता आदिवासी समाज-विज्ञान

डॉ अनुज लुगुन
सहायक प्रोफेसर, दक्षिण बिहार केंद्रीय विवि, गया
anujlugun@cub.ac.in

भारत से अंग्रेजों का जाना अन्य भारतीयों की तरह ही आदिवासियों के लिए भी अंग्रेजों का जाना था और इसके साथ ही उन्होंने भी नेहरू के नेतृत्व के साथ एक उम्मीद भी जतायी थी. नेहरू स्वयं आदिवासियों को लेकर पंचशील सूत्रों के जरिये अपनी चिंता जता चुके थे, बावजूद इसके उन्होंने देश के विकास के लिए जो रास्ता तय किया, वह गांधीवादी रास्ता नहीं था. उनके द्वारा तय रास्ते का आशय साफ था- संसाधनों का अतिरिक्त दोहन. नेहरू द्वारा देश के विकास के लिए जिस 'विकास के मंदिर' की उद्घोषणा हुई, उसी में एक और औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया निहित थी. यह सीधे-सीधे सांस्कृतिक औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन इसमें आदिवासी अस्तित्व-संकट के बीज छुपे थे. आदिवासी अस्तित्व संकट पर विचार करना केवल आदिवासी समाज के किसी एक पहलू पर विचार करना नहीं है. इस भ्रम ने ही आजादी से अब तक आदिवासी समाज का सबसे गलत विश्लेषण प्रस्तुत किया है.

आजादी के बाद जिन दिनों तेजी से औद्योगीकरण की प्रक्रिया आरंभ की गयी, उसी दिन से आदिवासी समाज के साथ औपनिवेशिक व्यवहार शुरू हो गया था. बावजूद इसके कि इस शुरुआती दौर में अपनी जमीनें देने के बाद भी आदिवासियों के मन में देश के विकास या राष्ट्रहित के लिए अपनी सहमति थी, जो नेहरू युग के बाद सवाल में बदल गयी. यहां दो बातें साथ चल रही होती हैं- एक ओर तो आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जा रही है, दूसरी ओर आदिवासियों की सामाजिक-प्रशासनिक व्यवस्था पर बाह्य सत्ता का जबरन प्रवेश कराया जा रहा है. स्थानीय स्तर पर आदिवासियों की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो कहीं से भी कभी भी अलोकतांत्रिक नहीं रही है, लेकिन लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के नाम पर आदिवासियों की उन संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया गया. इस तरह की व्यवस्था ने आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी सुरक्षा अधिनियमों के होते हुए भी बहुत तेजी से गैर-आदिवासियों को कानूनी व्यवस्था देकर प्रवेश कराया. यह प्रवेश इसलिए चिंताजनक साबित हुआ, क्योंकि इसने फिर से आदिवासी समाज को शोषण के नये दौर में धकेल दिया. इस प्रक्रिया ने आदिवासियों के बीच अजनबियत का माहौल तैयार किया.

एक ओर तो जमीन छिन जाने से विस्थापन के बरअक्स पुनर्वास की कोई ठोस वैधानिक व्यवस्था नहीं हुई, वहीं दूसरी ओर आदिवासी अर्थव्यवस्था जो कि कृषि और वनोपज से संयुक्त थी, वह ध्वस्त हुई. यानी जमीन भी गयी, वन और वन के उत्पाद भी उनके हाथ से निकल गये. इसने आदिवासियों को सीधे आर्थिक रूप से प्रभावित किया और वे सारे दावे जो उनको विस्थापित करने के दौरान नौकरी और उनके विकास के लिए किये गये थे, सब धरे रह गये. जिन जगहों से आदिवासी विस्थापित हुए वहां चमचमाते कल-कारखाने, बड़ी-बड़ी कॉलोनियां तो बसीं, लेकिन इससे आदिवासी न केवल एक कोने में धकेले गये, बल्कि उनका बहुत तेजी से किसान से मजदूर वर्ग में रूपांतरण हुआ. जो कॉलोनियां विकसित हुईं, उनमें रहनेवाले आदिवासी नहीं थे. इसलिए वहां मौजूद दोनों जनसंख्या एक-दूसरे से अपरिचित थी. वहां अंततः उस कॉलोनीवासियों का प्रभुत्व कायम हुआ और आदिवासी अपनी जिस संस्कृति पर गर्व करते थे, वहां वह हेय माना जाने लगा. कॉलोनी की संस्कृति गैर आदिवासी संस्कृति थी, जो अपने साथ सामंती और पितृसत्तात्मक संस्कार लेकर आयी थी, जिसने आदिवासी महिलाओं का रूपांतरण 'वेश्याओं' के रूप में भी किया. कॉलोनी के इर्द-गिर्द बसे आदिवासी इस प्रभुत्व से न केवल अपनी पहचान खोते गये, बल्कि उनका वहां झुग्गी-झोपड़ियों में जो सामाजिक संरचना बनी, वह न अपने पूर्व के समाज की तरह थी और न ही उस कॉलोनी के समाज की तरह.

आदिवासी समाज की अलग सांस्कृतिक विशिष्टता की बात करते हुए बाहरी समाज उस पर रीझ तो जाता है, लेकिन वही समाज जब अपनी उसी विशिष्टता के साथ जीने के लिए अपना हक मांगता है, तो उसे असामाजिक माना जाता है.

बाद के दिनों में उस कॉलोनी के मध्यवर्गीय 'सहृदयों' ने उसी सामाजिक ढांचे और स्वभाव को आधार बनाकर जब साहित्य लिखा, तो उसमें यह सहज ही निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि आदिवासी या तो वेश्यावृत्ति कर जीवन-यापन करते हैं, या आर्थिक समस्या ही उनकी मूल समस्या है. दूसरी ओर जब आदिवासी समाज का मजदूर उस कॉलोनी में या कॉलोनी के बाजार में प्रवेश किया, तो वह यह समझ नहीं पाया कि वह अपने 'श्रम' को किस 'रूप' में परिभाषित करे, क्योंकि उसके पूर्व का सामाजिक परिवेश मौजूदा परिवेश से हर मामले में अलग था. यह केवल उनके किसान से मजदूर वर्ग में रूपांतरण के पहले चरण में ही नहीं हुआ, बल्कि यह संस्कारगत एवं अनुवांशिक वजहों से उसकी अगली पीढ़ी तक भी जारी रहा.

नव-उदारवादी दौर में जितनी तेजी से कॉलोनियों और औद्योगिक शहरों का विस्तार होना शुरू हुआ है उतनी ही तेजी के साथ आदिवासी समाज का औपनिवेशीकरण तेज हुआ है. नव-उदारवादी भारत की कथित 'विकास' की परिभाषा में आदिवासी समाज के प्रति भयानक संवेदनहीनता बरती जा रही है. इस कथित 'विकास' ने अब सीधे रूप में आदिवासियों के सवालों को और उनके स्वर को सुनना बंद कर दिया है. अब आदिवासियों के लिए एक ही बात सामने है कि यदि आप सहमत हैं, तो हमारे साथ 'हां' मिलाइए, अन्यथा आप 'देशद्रोही' समझे जायेंगे, क्योंकि आप देश के 'विकास' में बाधक हैं.

आदिवासी समाज की अलग सांस्कृतिक विशिष्टता की बात करते हुए बाहरी समाज उस पर रीझ तो जाता है, लेकिन वही समाज जब अपनी उसी विशिष्टता के साथ जीने के लिए अपना हक मांगता है, तो उसे असामाजिक माना जाता है. ऐसा कर वह आदिवासी समाज की विशिष्टता को ही स्वीकार नहीं करता, बल्कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी नकारता है. बाहरी समाज का आदिवासी समाज के प्रति यह ब्राह्मणवादी व्यवहार ही है. दूसरा नजरिया आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के रूप में चिह्नित करने का रहा है. खास तौर पर वामपंथी-प्रगतिशील विचारधाराओं का यह नजरिया भी आदिवासी समाज की वस्तुगत परिस्थितियों के आधार पर नहीं है, बल्कि बाह्य अवधारणाओं का ही आरोपण है. आज के नव-बाजारवादी दौर में आदिवासी समाज के जिस 'विकास' की बात कही जा रही है, वह आदिवासी समाज को भी एक उपभोक्ता के रूप में बाजार में उतारने की है. इसी ने आदिवासी समाज की अस्मिता और अस्तित्व को संकट की स्थिति में ला खड़ा किया है. इन्हीं संदर्भों में आज के आदिवासी-प्रश्न का वैश्विक संदर्भ उभरता है, जो मौजूदा 'विकास' और 'सभ्यता' को फिर से परिभाषित और विश्लेषित करने की मांग करता है.

आसान नहीं मिजोरम सरकार की राहें

श्रीप्रकाश शर्मा
प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, मामित
spsharma.rishu@gmail.com

एक दशक के राजनीतिक निर्वासन के बाद जोरामथांगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) द्वारा ऐतिहासिक जीत के बाद सत्ता की बागडोर संभालना मिजोरम राजनीति में एक नये अध्याय का प्रारंभ है. जोरामथांगा 1998 से 2008 के बीच लगातार दो बार मिजोरम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी के कई राजनीतिक संदेश हैं. स्थापना के लगभग तीन दशक बाद भी यह राज्य कई सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं के साथ अति-प्रतीक्षित विकास के मोड़ पर खड़ा है. बड़ा प्रश्न यह है कि क्या जोरामथांगा मिजोरम की जनता की समस्याओं के तारणहार सिद्ध होंगे? दूसरा प्रश्न यह भी है कि देश के समग्र विकास की मुख्य धारा से अलग मिजोरम के सपने को मुख्यमंत्री कैसे साकार करेंगे?

मिजोरम को देश के अन्य हिस्सों से वायुमार्ग द्वारा जोड़ने के लिए राज्य में एकमात्र हवाई अड्डा लेम्पुई है, जो राजधानी आइजोल से लगभग 20 किमी दूर है. दिल्ली से एक उड़ान यहां दोपहर ढाई बजे आती है. यहां से टैक्सी के जरिये राज्य के आठ जिलों में से एक मामित के मुख्यालय पहुंचने में शाम के साढ़े छह बज जाते हैं, जबकि हवाई अड्डे से मामित शहर की दूरी लगभग 65 किलोमीटर ही है.

यह स्थिति तब है, जब मिजोरम में बारिश नहीं होती या मॉनसून का मौसम नहीं होता. उस समय तो यह अवधि 5-6 घंटे तक भी हो सकती है. भू-स्खलन से रास्ता बाधित हो, तो कई घंटे लग जाते हैं. सच पूछिये तो खराब सड़क के कारण अप्रैल से अक्तूबर के बीच बारिश के दौरान यात्रा करना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होता है. सड़क यातायात की बदतर हालत के कारण सामान्य जन-जीवन के साथ अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. मिजोरम लोक निर्माण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकतर सड़कों की दुर्दशा का मुख्य कारण बारिश और रख-रखाव के लिए आवश्यक धन का अभाव है. राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब हालत की वजह भी यही है.

सड़कों की बेहतरी जोरामथांगा सरकार के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. युद्ध स्तर पर मौजूदा सड़कों की मरम्मत के साथ सुदूर गांवों में बड़े पैमाने पर नयी सड़कों के निर्माण का काम शुरू करने की दरकार है. भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य में रेलवे नेटवर्क का अभाव है, सो सड़क यातायात के महत्व को आसानी से समझा जा सकता है.

मिजोरम में नशे की लत तेजी से युवा वर्ग को अपनी गिरफ्त में ले रही है. लगभग हर परिवार इस समस्या से प्रभावित है. यह मुश्किल तीन दशकों से चली आ रही है. हालिया आंकड़ों के अनुसार, अभी राज्य में 25 हजार युवा नशे के आदी हैं, जिसमें 10 हजार सूई से नशा करते हैं. कम-से-कम दो हजार युवाओं का उपचार राज्य के 300 पुनर्वास केंद्रों में चल रहा है. नयी सरकार को इस चुनौती के समाधान की दिशा में प्रभावकारी नीतिगत पहल करने की आवश्यकता है, ताकि विकास के लिए आवश्यक युवा संसाधन की ऊर्जा को बचाया जा सके. हालांकि, ऐतिहासिक विजय के तुरंत बाद मुख्यमंत्री का राज्य में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा से नशे के विरुद्ध ठोस निर्णय की आशा मजबूत हुई है.

राज्य का सकल घरेलू उत्पादन करीब 14 हजार करोड़ रुपये है और अर्थव्यवस्था सालाना 5.3 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है. इसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 20 फीसदी है, जबकि राज्य की 70 प्रतिशत जनता आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है. इस संदर्भ में भी पहल जरूरी हैं, ताकि कृषि पर आश्रित लोगों की आमदनी बढ़ सके.

राज्य के जीडीपी में करीब 58 प्रतिशत का योगदान सेवा क्षेत्र का है. लेकिन, उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों के मुकाबले मिजोरम में पर्यटन का विकास बहुत प्रशंसनीय नहीं है. इस संबंध में अब भी बहुत कुछ करना है, ताकि रोजगार और आमदनी बढ़े.

प्रचुरता से उपलब्ध बांस पर आधारित कुटीर उद्योग और सस्ती लकड़ियों पर आधारित फर्नीचर उद्योग के विकास की संभावनाओं को वास्तविकता में बदला जा सकता है. पेड़-पौधों और वन्य प्राणियों से धनी इस राज्य में हॉर्टिकल्चर का विकास भी किया जा सकता है. राज्य में हैंडलूम के विकास को भी त्वरित करने की जरूरत है. इन प्रयासों में केंद्र सरकार से आवश्यक आवंटन और अनुदान प्राप्त कर राज्य में अभूतपूर्व परिवर्तन के पूरे अवसर हैं. किंतु इन योजनाओं के लिए यातायात के साधनों और बिजली उत्पादन को बढ़ाने की एक आवश्यक शर्त सरकार के सामने है. ऐसे में पनबिजली एक अच्छा विकल्प है.

आरबीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, मिजोरम की 20.5 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करती है, जो लगभग राष्ट्रीय औसत के बराबर है. लेकिन ग्रामीण निर्धनता के आंकड़े राष्ट्रीय स्तर से काफी अधिक हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 35 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 25.7 फीसदी है. समाज में धन और संपत्ति के इस असमान वितरण को शीघ्र पाटने की जरूरत है और इसके लिए जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करना सरकार के लिए एक अहम प्राथमिकता का कार्य है.

राष्ट्रीय स्तर पर केरल के बाद सर्वाधिक शिक्षित राज्य में शुमार मिजोरम शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की समस्या से भी ग्रसित है. इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जोरामथांगा के सामने चुनौतियों का अंबार है. लेकिन उनके पास व्यापक जन-समर्थन व अनुभव भी है.

मिजोरम के जीडीपी में करीब 58 प्रतिशत का योगदान सेवा क्षेत्र का है, लेकिन उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों के मुकाबले मिजोरम में पर्यटन का विकास बहुत प्रशंसनीय नहीं है. इस संबंध में अब भी बहुत कुछ करना है, ताकि रोजगार और आमदनी बढ़े.

बोधि वृक्ष

सम्मान करें

धर्म, शांति और अहिंसा की आवाज ऊंची और स्पष्ट होनी चाहिए. तनाव का मुख्य कारण होता है, जब हम समझते हैं कि हमें दूसरे ठीक से नहीं समझ रहे हैं. हम सोचते हैं कि हमें हमारे घर के सदस्य, पति-पत्नी, भाई-बहन, मां-बाप, या रिश्तेदार ठीक से नहीं समझ रहे हैं. इस वार्तालाभ की मुश्किल के कारण भावनात्मक तूफान उठता रहता है. बच्चों की शिकायत होती है कि मां-बाप उन्हें नहीं समझते और मां-बाप की शिकायत रहती है कि बच्चे उन्हें नहीं समझते. कितने ही मां-बाप का यह अनुभव है. हम सभी को कहीं-न-कहीं वार्तालाभ में मुश्किल अनुभव होती ही है. कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आप खुद भी सोचकर देखिए. यह एक बहुत आम समस्या है कि हम सोचते हैं कि लोग हमें गलत समझ रहे हैं. पर दूसरों पर इल्जाम लगाने की बजाय हमें अपने को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है. यह ऐसा ही है, जैसे अगर मैं आपसे स्वाहिली भाषा में बात करूं, तो आप समझ नहीं पायेंगे. एक ऐसी भाषा भी है, जो सभी समझते हैं, पेड़-पौधे और जानवर भी, और वह भाषा है हृदय की भाषा. उसके लिए आपको शब्दों की जरूरत नहीं है, आपका अस्तित्व ही काफी है. अगर आपके पास कोई पिल्ला या कुत्ता है, तो उसको आपके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल उसकी मौजूदगी या हाव-भाव से ही प्रेम झलकता है. हम इस प्रेम और मासूमियत के साथ ही पैदा हुए थे, पर कहीं हमने इसे खो दिया है. आप जितने अच्छे हैं, समाज आपको उससे अधिक अच्छा मानता है. अगर आपमें सौ प्रतिशत अच्छाई है, तो समाज आपको दो सौ प्रतिशत अच्छा मानता है. पूरी दुनिया आपका सम्मान करती है. आप दुनिया का सम्मान करते हैं, तो वही आपके पास वापस आता है. जीवन में आपकी परिस्थिति आपके मन में चल रहे भावों का प्रतिबिंब है. मैंने पचपन सालों में कभी किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, न ही अपमानित किया. आप देखिए कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं.

श्रीश्री रविशंकर

आपके पत्र

सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती अपील

देश में हर व्यक्ति, संस्थान को अधिकार है कि वह निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करे, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उच्च न्यायालय के तकरीबन हर फैसले के खिलाफ सक्षम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ही देते हैं. ऐसे में कई बार इस व्यवस्था पर शक होता है कि क्या यह न्याय के लिए है या फिर सक्षम लोगों द्वारा मन मुताबिक फैसला पाने के लिए? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या इतनी कम है कि उसकी लिस्ट जारी की जा सकती है. वहीं, अपने यहां सर्वोच्च न्यायालय में 55 हजार से भी अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं. चौंका देने वाली बात यह है कि अमेरिकी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केवल पांच प्रतिशत मुकदमों के लिए ही अपील दाखिल की जाती है. वहीं, अपने देश में इतने केस लंबित होने के बावजूद लगभग हर अपील को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेता है. अतः सुप्रीम कोर्ट को गहन परीक्षण के बाद ही अपील दाखिल करने की इजाजत देनी चाहिए.

सौरभ प्रकाश, धनबाद

जेएनयू के नारे और देशद्रोह

उमर और कन्हैया एंड कंपनी द्वारा जेएनयू में लगाये गये नारे, महज नारे नहीं थे. इन नारों के द्वारा भारत को विखंडित करने की साजिश से युवा मन को जोड़ने का यह कुत्सित प्रयास था. छोटे-मोटे अपराध से कहीं ज्यादा गंभीर है और युवाओं को भटकाने की कुचेष्टा. ऐसे नारे भविष्य में बड़ी घटनाओं की आधारशिला बन सकते हैं. किसी व्यक्ति के विरुद्ध कही गयीं अपमानजनक बातें 'मानहानि' के मुकदमे का कारण बन जाती हैं, पर विडंबना है कि भारत माता के अनेकानेक बुद्धिजीवी संतानों को देश का यह अपमान देश के विरुद्ध की गयी गंभीर साजिश और राष्ट्रद्रोह नहीं लगता. लोग छोटे-छोटे स्वार्थ के कारण देशद्रोह के कानून को ही समाप्त करने की सिफारिश कर रहे हैं. शायद देश का अपमानित होना या उसके टुकड़े होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता.

अनूप कुमार सिन्हा, रांची

टीम इंडिया की जरूरत हैं धौनी

पिछले एक वर्ष से महेंद्र सिंह धौनी लगातार आलोचकों के निशाने पर हैं. कई तो उनके फॉर्म के कारण इस साल होने वाले विश्वकप में उनकी उपलब्धता पर भी संदेह प्रकट करने लगे हैं, लेकिन धौनी जैसे अनुभवी बल्लेबाज को नजरअंदाज करना किसी भी टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. मंगलवार को दूसरे एकदिवसीय मैच में धौनी ने अपना वही पुराना अंदाज दिखाया और अंत तक नाबाद रहकर टीम को जीत भी दिलायी. इस मैच में धौनी ने आलोचकों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है. उनका खेल और सही समय पर सही निर्णय लेते हुए रणनीति के साथ खेलना ही उनकी खासियत है. कप्तानी छोड़ने के बाद भी धौनी मैच में सही वक्त पर सही फैसले के लिए ही जाने जाते हैं. युवा टीम के साथ धोनी जैसे अनुभवी क्रिकेटर टीम के लिए बहुत जरूरी हैं.

अमन सिंह, बरेली, उत्तर प्रदेश

कुछ अलग

चुनाव विश्लेषकों की प्रजाति

सुरेश कांत
वरिष्ठ व्यंग्यकार
drsureshkant@gmail.com

भारतीय चुनावों में मतदान के बाद चुनाव-विश्लेषक नामक प्रजाति उत्पन्न होती है. यह प्रजाति 'चुनावी पंडित' नामक प्राचीन प्रजाति का टीवी-संस्करण होती है. चुनावी पंडित चुनावों से पहले भविष्यवाणियां करते थे, ये चुनावों के बाद टीवी के परदे पर भविष्यवाणियां करते हैं. जब चुनाव-परिणाम आ रहे होते हैं, तब टीवी के परदे पर ये अपनी गंभीर मुखमुद्रा में आकर बताते हैं कि पिछले चुनाव में 'स्विंग' किसकी ओर था और इस चुनाव में किसकी तरफ है- कुछ-कुछ उसी अंदाज में, जिस तरह भरी दोपहरी में कोई बताये कि बारह घंटे पहले कितनी रात थी और अभी कितना उजाला है. वे यह भी बताते हैं कि पिछले चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था, इस चुनाव में कितने प्रतिशत, पिछली बार किस दल को कितने प्रतिशत वोट मिले थे और इस बार किस दल को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं. फिर वे ढेर सारे आंकड़े दिखा कर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं.

दर्शकों को बोर होता देख वे ताजा स्थिति का आंखों देखा हाल बताने के लिए दूर-दराज क्षेत्रों में अपने संवाददाताओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं. फिर वे वक्त बिताने के लिए स्टूडियो में बैठे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करने लगते हैं. अक्सर उनका पहला सवाल हारते हुए दल के प्रतिनिधि से होता है, 'आपका दल हार रहा है, क्यों?' अब उनसे कौन कहे कि चुनाव में खड़े हुए थे, इसलिए हार रहे हैं. हार न रहे होते, तो जीत रहे होते. जीत नहीं रहे, इसलिए हार रहे हैं. तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पर चूंकि इस तरह की बातें टीवी पर नहीं कही जा सकतीं, इसलिए हारनेवाला नेता खुद को हरानेवाले करोड़ों दर्शकों को बताता है कि वह हारा नहीं है, इसमें ईवीएम का बड़ा हाथ है...

उसकी बात अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि तब तक संवाददाता को स्टूडियो से लिंक मिल चुका होता है और वह घटनास्थल पर स्थानीय नेता के साथ दिखता है. कैमरे में दिखने के लिए धक्का-मुक्की करते लोगों के शोर के बीच संवाददाता और नेता में कुछ इस प्रकार का वार्तालाप होता है- 'आपकी जीत से सबको बहुत आश्चर्य हुआ!' 'मुझे तो नहीं हुआ.' 'क्या आपको जीतने की उम्मीद थी?' 'कोई हारने की उम्मीद भी करता है क्या?' 'जीत कर कैसा लग रहा है?' 'कैसा लगना चाहिए?' 'आगे क्या करेंगे?' 'आगे की आगे सोचेंगे.'

वोटों की गिनती आगे बढ़ने पर अचानक पासा पलट जाने और दूसरी पार्टी के जीतने तथा पहली के हारने लगने पर भी चुनाव-विश्लेषक घबराता नहीं और उसका भी विश्लेषण करने लगता है कि किन कारणों से ऐसा हुआ और वैसा नहीं हुआ, जैसा उसने पहले बताया था. फिर वह दूसरी पार्टी के नेता से 'खुश तो बहुत होगे तुम!' स्टाइल में सवाल पूछने लगता है. इसके बावजूद अगर वह असली कारण की तह तक नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए कि वह बाकी से तो सवाल पूछता है, बस एक ही बंदे से नहीं पूछता- आम आदमी से, कि उसने हारनेवाले को क्यों हराया और जीतनेवाले को क्यों जिताया?

देश दुनिया से

ब्रिटेन : थेरेसा मे ने जीता विश्वास मत

ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री थेरेसा मे के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को गिर गया. इस प्रस्ताव के पक्ष में 306, जबकि विपक्ष में 325 मत पड़े. इससे पहले कॉर्बिन, थेरेसा मे से इस्तीफा देने का आग्रह कर चुके थे. अपने दल के विद्रोहियों और डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी का साथ मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि मे के खिलाफ यह प्रस्ताव गिर जायेगा. अविश्वास मत में विजयी होने के बाद मे ने कहा कि वे इस बात से खुश हैं कि हाउस ने उनकी सरकार पर अपना विश्वास बनाये रखा. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार समृद्धि व सुरक्षा को बढ़ाने और एकता को मजबूत बनाने के लिए काम करेगी. इसके साथ ही, उन्होंने आम चुनाव की बात को खारिज करते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ, तो यह ब्रिटेन के लिए बेहद खराब होगा. ऐसे समय जब हमें एकता की जरूरत है, हमारे मतभेद गहरायेंगे, हमें निश्चिंतता की जरूरत है, उथल-पुथल मचेगा और जब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, इस कारण देर होगी. उन्होंने आगे कहा कि लेबर पार्टी के लिए उनके द्वारा खुले हुए हैं. वहीं, कार्बिन ने कहा कि वे भी मे से मिलने को इच्छुक थे लेकिन तब, जब वे पर्दे के पीछे नो-डील ब्रेग्जिट पर सहमत होतीं.

कार्टून कोना

साभार : बीबीसी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है